www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 21.03.2017

सीबीआई ने सरकारी खजाने को हानि पहुँचाने पर न्यू इण्डिया असोरेन्स कम्पनी के तत्कालीन मण्डलीय प्रबन्धक एवं विकास अधिकारी तथा अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने न्यू इण्डिया असोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, (एन.आई.ए.सी.एल.), बान्द्रा डी.ओ., मुम्बई में कार्यरत तत्कालीन मण्डलीय प्रबन्धक एवं विकास अधिकारी ; मुम्बई के दो बीमा एजेन्ट और प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि तत्कालीन मण्डलीय प्रबन्धक ने अन्य आरोपी के साथ षड़यंत्र में वर्ष 2012-2016 की अवधि के दौरान मैसर्स यू.टी.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर टेकनोलजी एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, बेलापुर, मुम्बई के द्वारा ली गई इन्स्योर्ड मेडीक्लेम पॉलसीज के दस्तावेजों में अवैध रूप से हेर-फेर कर 36.81 लाख रू. (लगभग) तक न्यू इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी की। ऐसा भी आरोप था कि अनुबन्ध दस्तावेजों के समझौते में अन्य आरोपियों को बीमा एजेन्ट की तरह नाम डालकर हेरफेर की गई, यद्यपि दावा मैसर्स यू.टी.आई. इन्फ्रास्कचर टेक्नॉलजी एण्ड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, किसी मध्यस्थ/ ऐजेन्ट के बिना एन.आई.ए.सी.एल. से सीधे लिया गया था।

आरोपी व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी की गई जिसमें सावधि जमा रशीद, अंशधारिता एवं म्यूचुअल फण्ड्स ; मुम्बई स्थित दो फ्लैटो की खरीद दर्शाने वाले दस्तावेज एवं लॉकर सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉंच जारी है।

****